झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

द्वादश (बजट) सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 29 पौष, 1939 (श0) / 19 जनवरी, 2018 (ई0) को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को सं0 की गई शा0 संख्या		सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.		03.	04.	05.	06
55–	श्रनि–	04	श्री शिव शंकर उराँव	न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना।	श्रम, नियोजन	10.01.2018
56–	स0–	19	श्रीमती जोबा मांझी	अनुमण्डल अस्पताल की स्थिति में सुधार।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
57–	स–	04	श्री कुणाल षड़ंगी	मानदेय देने का विचार।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
58–	स–	18	श्री प्रदीप यादव	भवन निर्माण प्रारंभ कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
59–	रा–	04	श्री रामकुमार पाहन	सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराना।	राजस्व निबंधन	10.01.2018
60–	स–	11	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
61–	स–	15	श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता	अस्पताल एवं आवासीय भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
62–	स–	13	श्री चम्पाई सोरेन	अधूरे कार्य को पूर्ण करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
63–	रा–	13	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	मुआवजा देना।	राजस्व, निबंधन	12.01.2018

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.		03.	04.	05.	06
64-	स-	06	श्री दशरथ गागराई	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
65-	स-	05	श्री कुणाल षड़ंगी	एम0पी0डब्लू0 के मांगों को पुरा करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
66-	स-	14	श्री सुखदेव भगत	डॉक्टर्स एवं टेक्नीशियनों की पदस्थापना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
67-	रा-	12	श्री भानु प्रताप शाही	पंचायतों में अंचल/राजस्व संबंधित कार्य करना।	राजस्व, निबंधन	12.01.2018
68-	स-	24	श्री भानु प्रताप शाही	चिकित्सा सेवा प्रदान करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
69-	रा-	32	श्रीमती मेनका सरदार	संसाधन मुहैया कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
70-	स-	08	श्रीमती गीता कोड़ा	स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
71-	रा-	09	श्री जगरनाथ महतो	भूमि वापस दिलाना।	राजस्व, निबंधन	12.01.2018
72-	रा-	14	श्री अमित कुमार मंडल	एस0पी0टी एक्ट को सी0एन0 एक्ट के समतुल्य करना।	राजस्व, निबंधन	12.01.2018
73-	स-	09	श्रीमती गीता कोड़ा	स्वास्थ्य सेवा जनहित में बहाल करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
74-	श्रनि-	06	श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता	प्रशिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन प्रारम्भ करना।	श्रम नियोजन	10.01.2018
75-	श्रनि-	02	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आई0टी0आई0 कॉलेज प्रारम्भ करना।	श्रम नियोजन	10.01.2018
76-	श्रनि-	09	श्रीमती मेनका सरदार	आई0टी0आई0 की स्थापना।	श्रम नियोजन	12.01.2018
77-	स-	33	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कानून का अनुपालन।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
78-	स-	31	डॉ0 इरफान अंसारी	ब्लड बैंक को प्रारम्भ करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
79--	स-- 10	डॉ0 आलमगीर आलम	इन्सोनेटर मशीन स्थापित करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
80--	श्रनि-- 13	श्री राजकुमार यादव	आई०टी०आई० का निर्माण।	श्रम नियोजन	12.01.2018
81--	रा-- 03	श्री शशि भुषण सामाड़	पुनः भूसर्वे कराना।	राजस्व निबंधन	10.01.2018
82--	श्रनि-- 01	श्री अशोक कुमार	अस्पताल निर्माण एवं चलंत चिकित्सालय की की व्यवस्था	श्रम नियोजन	08.01.2018
83--	श्रनि-- 07	श्री नागेन्द महतो	आई०टी०आई० की स्थापना।	श्रम नियोजन	10.01.2018
84--	स-- 29	श्री आलोक कुमार चौरसिया	सामुदायिक स्वास्थ्य उप केन्द बनाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
85--	स0-- 07	श्री मनीष जायसवाल	ट्रामा सेंटर की स्थापना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
86--	श्रनि-- 08	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	आई०टी०आई० कॉलेज का निर्माण	श्रम नियोजन	10.01.2018
87--	श्रनि-- 05	श्री अरूप चटर्जी	मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।	श्रम नियोजन	10.01.2018
88--	रा-- 08	श्री राज कुमार यादव	भूमि एवं आवास देना।	राजस्व निबंधन	12.01.2018
89--	स-- 26	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	एक्सपायरी दवाओं की जाँच।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
90--	स-- 12	श्री नागेन्द महतो	स्वास्थ्य सेवाऐं प्रारम्भ करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	10.01.2018
91--	रा-- 02	श्री मनीष जायसवाल	खासमहल रिज्यूक्ट लैंट पर मकान का प्रावधान।	राजस्व निबंधन	10.01.2018
92--	स-- 20	श्रीमती जोबा मांझी	स्वास्थ्य केन्द को प्रारम्भ करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
93--	स-- 03	रामकुमार पाहन	अस्पताल का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा	08.01.2018

01.	02.	03.	04.	05.	06
94—	रा— 05	श्री अरूप चटर्जी	बन्दोबस्ती देने संबंधी कार्रवाई।	राजस्व निबंधन	10.01.2018
95—	रा— 10	श्री बिरंची नारायण	मालगुजारी रसीद निर्गत करना।	राजस्व निबंधन	12.01.2018
96—	स— 28	श्रीमती विमला प्रधान	मच्छरदानी उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
97—	स— 30	श्री योगेश्वर महतो	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
98—	स— 16—	श्री प्रदीप यादव	भवन निर्माण एवं मेडिकल स्टाफ का पदस्थापन।	स्वास्थ्य चिकित्सा	12.01.2018
99—	स— 01	श्री अशोक कुमार	महिला चिकित्सक का पदस्थापन	स्वास्थ्य चिकित्सा	08.01.2018

राँची,
दिनांक— 19 जनवरी, 2018 (ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न- 01/2018-.....685...../वि0स0, रांची, दिनांक-16/1/18
प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

16/01/18
(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न- 01/2018-.....685...../वि0स0, रांची, दिनांक-16/1/18
प्रतिः- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/01/18
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न- 01/2018-.....685...../वि0स0, रांची, दिनांक- 16/1/18
प्रतिः- कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा ऑनलाईन शाखा, एवं आश्वासन समिति प्रश्न ध्यानाकर्षण, विधायी शोध संदर्भ शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16/01/18
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

सुभाष/—

16/01/18

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–04 का उत्तर :–

क्र0सं0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–04	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न विभागों के संरचनात्मक निर्माण कार्य सहित राज्य के विकास कार्यो में लगे दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम पारिश्रमिक / मजदूरी दर तय की जाती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के दरों का निर्धारण आम तौर पर 4 से 6 वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है, एवं हर छः माह पर परिवर्त्तनशील मँहगाई भत्ता में वृद्धि उपभोक्ता मुल्य सूचांकांक में बढ़त्तोत्तरी होने पर की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि ऐसे मजदूरों को संवेदक अथवा संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक/मजदूरी नही दी जाती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर मजदूरी का भुगतान संवेदक/कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाना बाध्यकारी है। यदि किसी संवेदक/एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, तो श्रमिक हित में विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी /पारिश्रमिक दर के संबंध में सही सूचना /जानकारी नही रहने के कारण कार्य कराने वाले एजेंसियों /अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा गरीब मजदूरों का शोषण किया जाता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार द्वारा समय–समय पर अथवा न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्त्तन होने की स्थिति में इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है साथ ही झारखण्ड सरकार के पोर्टल तथा श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर इन दरों को देखा जा सकता है।
4.	क्या यह बात सही है कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के संबंध में प्रचार–प्रसार करने के मामले मे विभाग गंभीर नही रहती है;	यह सही नहीं है कि विभाग प्रचार–प्रसार के मामले में गंभीर नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मजदूरों के हक में प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर मे पूरी गंभीरता के साथ न्यूनतम मजदूरी दरों को प्रचार–प्रसार के लिए समुचित कदम उठने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त के आलोक मे कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

18.1.18

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक:– 01 / श्रमा०का० / (वि०स०)–08 / 2018 श्र०नि० 110 राँची, दिनांक 18.01.18
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०प्र०–168 वि०स०, दिनांक– 10.01.2018 के अनुपालन में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(56)

श्रीमती जोबा मांझी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 19 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के पोड़ाहाट–चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल संचालित है, जिसमें चिकित्सकों का अभाव है तथा अस्पताल परिसर में बने कर्मचारी आवास की स्थिति जर्जर है जिससे कर्मी वहाँ रह नहीं पाते है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल अस्पताल की स्थिति में सुधार लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तु स्थिति यह है कि अनुमण्डलीय अस्पताल चक्रधरपुर पूर्ण रूपेण संचालित है, जिसमें 1. डॉ0 राजेन्द्र नाथ सोरेन 2. डॉ0 नन्दु ओनागा 3. डॉ0 परमेश्वर प्रधान 4. डॉ0 रीतलाल पदस्थापित है जिनके द्वारा जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, चाईबासा से कर्मचारी आवास के जीर्णोद्धार/निर्माण से संबंधित अनुमोदित प्राक्कलन की माँग की गई है। बजट उपलब्धता के आधार पर मरम्मति/निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 11/18– 103 स्वा0, राँची, दिनांक: 18·1·18

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 280/वि0स0, दिनांक– 12.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव ।

(57)

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में सहिया साथियों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राशि कम है ;	अस्वीकारात्मक। सभी सहिया साथियों को एन०एच०एम० के अन्तर्गत 20 (बीस) कार्य दिवस 250 रू० प्रति दिन से प्रोत्साहन का प्रावधान है।
2-	क्या यह बात सही है कि सहिया साथियों के द्वारा प्रोत्साहन राशि के जगह पर मानदेय दने का मांग वर्षो से किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सहिया साथियों को प्रोत्साहन राशि के जगह पर मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०प्र०–07-11/18 – 59(15)(4) रॉची, दिनांक– 18/01/18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 158 दिनांक– 10-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(58)

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 18 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट सी0एच0सी0 का भवन निर्माण हेतु टेन्डर हो जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य चालू नहीं हो पाया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों के शिथिलता एवं अकर्मण्यता के कारण समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है ;		अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन योजना का कार्य आवंटन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के पत्रांक 1308 दिनांक 24.05.2017 द्वारा मेसर्स अविनाश इन्टरप्राईजेज, IIIK-35/3A, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया है। प्रबंधक –सह– कार्यपालक अभियंता, दुमका के पत्रांक 904 दिनांक 20.12.2017 द्वारा प्रस्तावित स्थल से पुराने भवन को तोडवाने की अनुमति हेतु उपायुक्त, गोड्डा से अनुरोध किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अमीन पोडैयाहाट द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल की चिन्हित भूमि का सीमांकन कर दिया गया है। उक्त स्थल पर पूर्व से अवस्थित पुराने भवन/वृक्ष जिन्हें नये निर्माण से पूर्व तोड़ा जाना/पातन किया जाना है, जिसकी अनुमति प्राप्त होते ही प्रश्नाधीन योजना के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 09/18– 94 स्वा0, राँची, दिनांक: 18/1/18

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 283/वि0स0, दिनांक– 12.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव ।

(59)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत हजारीबाग रोड ईरबा से रूक्का डैम तक एवं गोन्दली पोखर पुरूलिया रोड तक कई कंपनियों, संस्थाओं एंव ग्रामीणों के द्वारा लगभग 200 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमित किया गया है ;		अस्वीकारात्मक। राँची–रूक्का डैम तक जानेवाली सड़क पर वर्तमान में अतिक्रमण का कोई मामला लंबित नहीं है। राँची–पुरूलिया रोड के चौड़ीकरण करने की योजना है। उक्त दोनों मामलों में जाँचोपरान्त अतिक्रमण का मामला पाये जाने पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम (BPLE), 1956 के संगत प्रावधान के तहत् नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायगी।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की जमीन अतिक्रमित होने के कारण सड़क संकीर्ण हो गया है जिससे आवागमन करने वाले पर्यटकों एवं ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है ;		कंडिका–1 में उत्तरित।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सड़कों की मापी कराकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?		कंडिका–1 में उत्तरित।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0 तारां0– 04/2018-219 (4)/रा0 राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–178/वि0स0, दिनांक–10.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड में वभण्डी स्वास्थ्य केन्द्र एवं हरिहरगंज प्रखण्ड के अररूआ पंचायत में तथा हुसैनाबाद प्रखण्ड के दंगवार में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनकर तैयार है और अब तक इन भवनों में चिकित्सा कार्य प्रारम्भ नहीं किये गयें है ;	पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड में वभण्डी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में औसतन प्रतिमाह 20/30 संस्थागत प्रसव, प्रतिदिन 25/30 ओ0पी0डी0 नियमित प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी सेवाएँ दी जाती है, इस केन्द्र में दो चिकित्सा पदाधिकारी के पद स्वीकृत हैं परन्तु चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है। इस केन्द्र में दो नियमित एंव एक अनुबंधित ए0एन0एम0 तथा एक स्वास्थ्य प्रशिक्षक पदस्थापित है। हरिहरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत अररूआ पंचायत में अररूआ स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इस स्वास्थ्य केन्द्र के नया भवन निर्माणाधीन है। कार्यकारी एजेंसी से भवन हस्तगत हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर नया भवन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र क्रियाशील कर दिया जायेगा। वर्तमान में इस केन्द्र में नियमित प्रतिरक्षण, संस्थागत प्रसव औसतन 3–6 प्रतिमाह तथा प्रतिदिन 10/15 ओ0पी0डी0 की सेवाएँ दी जाती है। हुसैनाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत दंगवार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है। दंगवार से दो कि0मी0 पर नदीआई स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र में प्रतिमाह औसतन 20–30 संस्थागत प्रसव 20–25 ओ0पी0डी0 प्रतिदिन एवं प्रतिरक्षण कार्य होता है, दंगवार में दो सरकारी भवन बना है, एक अर्द्धनिर्मित है, जिसमें पुलिस पिकेट है और दूसरा भवन पूर्ण है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर अविलम्ब चिकित्सा कार्य प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07-22/18 51(15) रांची, दिनांक– 18.1.18

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 161 दिनांक– 10-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(61)

श्री जयप्रकाश सिंह भोग्ता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में सदर अस्पताल के भवन की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है ;		अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, चतरा को 100 शय्यावाले, जो भविष्य में 300 शय्यावाले अस्पताल के रूप में उत्क्रमित किये जा सकेगें के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 9,39,11,900/– (नो करोड़ उनचालीस लाख ग्यारह हजार नो सौ रूपये) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के अलोक में सदर अस्पताल भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. क्या हा बात सही है कि आवासीय भवन नहीं होने से डाक्टर स्थाई रूप से जिले में नहीं रह पाते है ;		सदर अस्पताल परिसर में पूर्व से तीन चिकित्सक एवं छः पारामेडिकल कर्मी के लिए आवास उपलब्ध है। वर्तमान में सदर अस्पताल के नये भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चिकित्सक आवास के माध्यम से जिला यक्ष्मा कार्यालय/जिला भण्डार कार्यालय एवं जन औषधी केन्द्र का कार्यालय संचालित है। सदर अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही चिकित्सक आवास को खाली कराकर चिकित्सकों को आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 07/18– 100 स्वा0, राँची, दिनांक: 18/1/18

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 277/वि0स0, दिनांक– 12.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव ।

(62)

श्री चम्पाई सोरेन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स0–13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र डुमरा वर्ष 2013–14 में स्वीकृत की गई थी, जिसके भवन का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही, तो क्यों ?	वस्तुतः प्रश्नाधीन योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 25.00 लाख की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी गई है उक्त योजना विभागीय अभियंत्रण कोषांग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में समाहित होने के कारण योजना का कुछ कार्य अधूरा है। विभागीय पत्रांक–91 दिनांक 17.01.18 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, कार्य प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध के आलोक में अधूरे योजना को पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 –05/18– 107 स्वा0, राँची, दिनांक: 18.1.18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–276/वि0स0, दिनांक– 12.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव

(63)

श्री रबीन्द्र नाथ महतो, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–13 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री रबीन्द्र नाथ महतो, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखण्ड के लोगों का साहेबगंज–गोविन्दपुर स्टेट हाइवे पथ निर्माण में जमीन अधिग्रहण किया गया है,		स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत कुल–21 ग्रामों के रैयतों का साहेबगंज–गोविन्दपुर स्टेट हाइवे पथ निर्माण में आंशिक रूप से जमीन का अधिग्रहण किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी तक सभी लोगों को भू–अधिग्रहण का सम्पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया है,		फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत कुल–131 रैयतों का आपसी विवादित मामलों एवं माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कुल–02 मामलों में मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका है। जिन प्रभावित रैयतों द्वारा आपसी विवाद से संबंधित मामला में समझौता/आपसी सहमति संबंधित कागजात प्रस्तुत किया जाता है, उन रैयतों को मुआवजा राशि भुगतान की जा रही है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के लोगों को सम्पूर्ण मुआवजा देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उक्त प्रखण्ड के रैयतों को सम्पूर्ण मुआवजा देने का विचार रखती है। आपसी विवाद से संबंधित मामलों में समझौता/आपसी सहमति होने तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों में न्यायादेश प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8ए/भू.अ.नि.वि.स.(तारां.)–12/2018.....25.....(8ए)/रा., राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–272/वि.स., दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
17.1.18

Comp/G/D-drive/All folder/Vidhan Sabha-17M

(64)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स0–06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिले के कोलाबिरा स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय लोक चिकित्सा सुविधा से वंचित हो रहे है;		आंशिक स्वीकारात्मक
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोलाबिरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए नये भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही, तो क्यों ?		वस्तु स्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र कोलाबिरा में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र में श्रीमती पुष्पा लता कुमारी ए0एन0एम0, श्रीमती नीलम कुमारी ए0एन0एम0, श्रीमती सुनीता कुमारी ए0एन0एम0, प्रतिनियुक्त/पदस्थापित है। जिसमें प्रभारी चिकित्सक के रूप में डॉ0 योगेश्वर प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विभागीय पत्रांक 82 दिनांक 16.01.18 द्वारा प्रश्नाधीन योजना के मरम्मति से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, कार्य प्रमंण्डल सरायकेला–खरसावाँ से पत्राचार किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत बजट उपलब्धता के आधार पर मरम्मति कार्य करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0(ता0)–06/18– 93 स्वा0, राँची, दिनांक: 18·1·18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–157/वि0स0, दिनांक–10.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव।

(65)

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एम0पी0डब्लू0 कर्मचारियों के स्थायीकरण करने, उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उनके वेतनमान को 5200–1900–20200, ग्रेड पे0– 1900 के अनुरूप महँगाई भत्ता देने तथा 7 वें वेतनमान का लाभ देने का मांग लंबे समय से किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2-	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में खण्ड–1 में वर्णित एम0पी0डब्लू0 के मांगों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प सं0–266(15) दिनांक– 21.07.15 द्वारा 2150 MPW(M) पदों का सृजन संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त किये जाने हेतु किया गया है। उक्त के आलोक में कुल 1654 MPW(M) का नियुक्ति संविदा आधारित वित्त विभाग के मापदण्ड अनुसार स्वीकृत मानदेय के आधार पर किया गया है। वर्त्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-12/18 -40(15) राँची, दिनांक– 17/01/18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 159 दिनांक– 10-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(66)

श्री सुखदेव भगत, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0– 14 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा शहर में स्थित अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद अभी वर्तमान में मात्र 4 डाक्टर ही उपलब्ध है, जबकि डॉक्टरों के स्वीकृत पद 30 है। उसी प्रकार टेक्नीशियन, एक्सरे प्रावैधिक, ई0सी0जी0 प्रावैधिक विभाग सहित अनेक विभाग में रिक्तियां है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, लोहरदगा में चिकित्सकों की स्वीकृत पद 30 के विरूद्ध कुल 09 चिकित्सक पदस्थापित है एवं 03 महिला चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो EMOC एवं LSAS प्रशिक्षित है। पारामेडिकल कर्मियों की रिक्ति निम्न प्रकार है– एक्स–रे–टेक्निशियन के 02 पद के विरूद्ध 01 पद पर संविदा में कार्यरत है, ई0सी0जी0 टेकनिशियन का 01 पद स्वीकृत हे जो रिक्त है एवं प्रयोगशाला प्रावैधिक के 04 पद के विरूद्ध 02 पद पर कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि डॉक्टरों की कमी एवं टेकनीशियन नहीं रहने के कारण मरीजों का समुचित ईलाज नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, लोहरदगा में मरीजों का समुचित ईलाज हो रहा है। माह अप्रैल 2017 से माह दिसम्बर 17 तक उपचार किये गए मरीजों की स्थिति निम्न प्रकार है– ओ0पी0डी0 मरीजों की संख्या – 76914 आई0पी0डी0 मरीजों की संख्या – 5874 सामान्य प्रसव की संख्या – 1838 सिजिरियन प्रसव की संख्या – 206 लेब जांच – 29584 अल्ट्रासाउण्ड जॉच – 3255 ए0एन0सी0 का कुल पंजीयन – 3881
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्पताल के मापदण्डों के अनुसार डॉक्टरों एवं टेक्नीशियनों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सक रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है, अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन हेतु विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–03/2018 49 (3) राँची, दिनांक: 18.01.2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 279/वि0स0 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

18/1/2018

(67)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–12 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर प्रखंड के तीन पंचायत हरिहरपुर, डुमरसोता एवं मझिगांवा को काटकर प्रखण्ड मुख्यालय काण्डी में जोड़ दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सभी पंचायत कांडी प्रखण्ड में जुड़ जाने के बाद भी अंचल/राजस्व का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल/राजस्व संबंधी कार्य पुराने अंचल से ही हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में अंचल/राजस्व संबंधित कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	भवनाथपुर प्रखंड के तीन पंचायतों यथा: हरिहरपुर, डुमरसोता एवं मझिगांवा को काटकर अंचल कार्यालय काण्डी में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव ग्राम सभा एवं पंचायत समिति से पारित है। उक्त प्रस्ताव जिला परिषद, गढ़वा के समक्ष सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है। तदोपरान्त उक्त पंचायतों को अंचल कार्यालय, काण्डी में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के पश्चात विषयगत मामले में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–2/रा० स्था० तारांकित प्रश्न– 05/2018 207 (2)/रा० राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–271/वि०स०, दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव

(68)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरौंधी, रमना एवं डंडई में भवन निर्माण हो चुका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रमना का भवन हस्तगत एवं कार्यशील है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरौंधी, एवं डंडई का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
2-	क्या यह बात सही है कि तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, उपकरण एवं दवा के अभाव में अस्पताल का संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रखंड के आम जनता को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रमना मे चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है, जो कार्यरत हैं। साथ ही पाराकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। रमना में आवश्यकतानुसार उपकरण एवं दवा आदि की व्यवस्था है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सूचारू रूप से चिकित्सा सेवा संचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-18/18 60(15) रॉंची, दिनांक– 18/01/18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 278 दिनांक– 12-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(69)

श्रीमती मेनका सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0–स–32 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती मेनका सरदार, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत डुमरिया प्रखण्डाधीन आसनबोनी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है ;	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसनबोनी पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखण्ड के अन्तर्गत स्थित है, जो बनकर तैयार है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में संसाधनों की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, जिसके कारण मरीजों को स्वास्थ्य सेवायें नहीं मिल पा रही है है ;	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसनबोनी में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों का पद सृजित नहीं है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में ए0एन0एम0 का एक पद सृजित है और वहाँ एक ए0एन0एम0 कार्यरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसनबोनी में प्रसव केन्द्र, औ0पी0डी0, टीकारण एवं सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रम का कार्य किया जा रहा है। रेफरल अस्पताल, जुड़ी, पोटका से कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन प्रतिनियुक्त किया गया है, फार्मासिस्ट को सप्ताह में तीन दिन प्रतिनियुक्त किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका में आउटसोर्स में कार्यरत तीन पुरूष वर्ग सेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस प्रकार से स्थानीय व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसनबोनी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक सभी संसाधन मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–15/ वि0स0–07–15/2018 – 4915 स्वा0/राँची/दिनांक:– 18-1-18
प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 288 दिनांक 12.01.18 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

18.01.18
सरकार के उप सचिव।

(-70)

श्रीमती गीता कोड़ा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल के मनोहरपुर प्रखण्ड में 23 एवं आनंदपुर प्रखण्ड में कुल–8 उप–स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र है :	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल के मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 20 स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा आनन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 07 स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 वर्णित में मनोहपुर प्रखण्ड के 23 स्वास्थ्य केन्द्रों मे से 7 स्वास्थ्य केन्दों के पास कोई सरकारी भवन नहीं है तथा 3 स्वास्थ्य केन्द्र भाड़े के घर में संचालित हो रहे है :	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्दों मे से कई स्वास्थ्य केन्दों का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया है जिससे ग्रामीण मुलभूत स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो रहे है :	प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल के मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र एवं 20 स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा आनन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 07 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। जिसके माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा पूर्णरूपेण उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. क्या यह बात सही है कि कई स्वास्थ्य केन्दो में पानी एवं बिजली तक की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आपातकाल की स्थिति में मरीजों का ईलाज ढ़िबरी या मोमबती जलाकर किया जाता है साथ ही कई स्वास्थ्य केन्द्र भवनो के छत में ग्रामीण धान सुखाते हैं:	वस्तुस्थिति यह है कि मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र जो नवनिर्मित है संचालित हैं, जिसमें बिजली एवं पानी की व्यवस्था की गई है। वैसे स्वास्थ्य केन्द्र जो भाड़े के मकान में संचालित है बिजली की सुविधा नही है जिसमें दिन में चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है, रात्रि एवं आपातकालीन स्थिति में इस क्षेत्र के मरीजों को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र, जो सभी प्रकार के व्यवस्था से युक्त है, के माध्यम से

		चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जाती है। किसी भी कार्यशील स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन के छत पर धान नही सुखाया जाता है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार खण्ड–1, 2, 3, एवं 4 में वर्णित विषय के आलोक में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों मे आधारभूत संरचना एवं संसाधन मुहैया कराते हुए ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		राज्य सरकार के द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से भाड़े के मकान एवं अन्य भवनों में संचालित स्वास्थ्य उप केन्द्रों को निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रश्नाधीन प्रखण्डों में वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से आई०पी०एच०एस० मानक के अनुरूप भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर भाड़े के मकान एवं अन्य भवनों में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी०वि०स० (ता०)– 02/18– 102 स्वा०, राँची, दिनांक: 18/1/18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–165/वि०स०, दिनांक– 10.01.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव ।

(71)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–09 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत कुलेश्वर मॉझी, पिता स्व0 धुण्डा मॉझी, ग्राम चम्पानगर थाना–पीरटॉड जिला– गिरिडीह जिनके पूर्वजों के नाम दर्ज खतियानी जमीन मौजा–कोतवालीडीह टोला ढकुईयाटॉड थाना–मु0 गिरिडीह के खाता नं0–45 प्लॉट न0–666,683,684 कुल रकबा–0.76 एकड़ में नंदप्रभा ट्रस्ट स0–कोतवालडीह के कब्जा से वापसी हेतु न्यायालय भूमि उपसमाहर्त्ता गिरिडीह में भू0 वापसी वाद सं0–01/15–16 दायर किया गया था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त वाद में न्यायालय द्वारा कुलेश्वर मॉझी के पक्ष में निर्णय देकर नन्द प्रभा ट्रस्ट से भूमि वापस करने हेतु अंचल अधिकारी गिरिडीह को ज्ञापांक–473, दिनांक–28.06.17 द्वारा कहा गया है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी गिरिडीह द्वारा ज्ञापांक–3169 दिनांक–20.12.17 द्वारा भूमि वापसी हेतु नन्द प्रभा ट्रस्ट को कहा गया, लेकिन अभी तक भूमि वापसी नहीं हुआ,	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुलेश्वर मॉझी को भूमि वापस दिलाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रसंगाधीन मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा भू–वापसी हेतु पारित आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय, उपायुक्त, गिरिडीह के न्यायालय में अपील वाद संख्या–08/2017 दायर किया गया है जो विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 06/वि0स0(तारां0)–18/2018 216 (6)/रा. राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–273, दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सा0वि0 स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–14 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सा0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या बात सही है कि राज्य में जमीन संबंधी दो तरह के कानून सी0एन0टी0 एवं एस0पी0टी0 एक्ट लागू है		स्वीकारात्मक। झारखण्ड में काश्तकारी अधिनियम यथा–छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 लागू है।
2.	क्या बात सही है कि सी0एन0टी0 एक्ट कानून के तहत् जेनरल य ओ0बी0सी0 वर्ग के लोग जिले के अंदर अपनी जमीन किसी को भी खरीद–बिक्री नियमानुसार कर सकते हैं, लेकिन एस0पी0टी0 एक्ट के तहत् इन वर्गों के लिए मुमकिन नहीं है		स्वीकारात्मक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में बसौढ़ी के अलावे अन्य भूमि की बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है।
3.	क्या बात सही है कि राज्य में दो तरह के कानून होने के कारण सी0एन0टी0 एक्ट क्षेत्र के इलाकों में विकास एस0पी0टी0 क्षेत्र के इलाकों की तुलना में बेहतर है		आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एस0पी0टी0 एक्ट को सी0एन0टी0 एक्ट के समतुल्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0–2588 दिनांक–30.08.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य में सी0एन0टी0 एक्ट में जनजातीय समुदाय के लोगों आवासीय उद्देश्य से एक अधिसूचित थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूमि की क्रय–विक्रय के प्रावधानों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बाध्यता तथा एस0पी0टी0 एक्ट में संथाल परगना में गैर जनजातीय लोगों द्वारा गैर जनजातीय लोगों को आवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय–विक्रय के प्रावधानों पर अपेक्षित संशोधनों पर विचार–विमर्श हेतु श्रीमती लुईस मरांडी, माननीय कल्याण मंत्री–सह–उपाध्यक्ष, झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की अध्यक्षता में एक उपसमिति की गठन की गयी है। तदोपरांत विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6/वि0स0 (ता0रा0)–19/2018 222 /रा0 राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–270/वि0स0, दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(73)

श्रीमती गीता कोड़ा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 09 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर प्रखण्ड के रायकेरा में बना उप–स्वास्थ्य केन्द्र, भवन निर्माण के बाद से बगैर उपयोग के खंडहर बनता जा रहा है :	स्वीकरात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भवन का हस्तांतरण विधिवत स्वास्थ्य विभाग को नहीं किए जाने के कारण भवन का उपयोग नहीं हो रहा है :	स्वीकरात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भवन का उपयोग नहीं होने की स्थिति में इसमें लगाए गए सारे सामान गायब हो रहे है तथा यह भवन असामाजिक तत्वों का पनाहगाह बनता जा रहा है :	आंशिक स्वीकरात्मक। स्वास्थ्य उप–केन्द्र रायकेरा के नवनिर्मित भवन का विधिवत हस्तान्तरण प्राप्त नहीं होने के कारण नवनिर्मित भवन का उपयोग नहीं हो रहा है। हस्तान्तरण प्राप्त नहीं होने के कारण सामान गायब होना एवं उक्त भवन पर असमाजिक तत्वों का पनाहगाह होने की जानकारी नहीं है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1, में वर्णित भवन को विधिवत रूप से स्वास्थ्य विभाग को सौपते हुए सभी प्रकार के संसाधन मुहैया कराने तथा आधारभूत संरचना दुरूस्त कर स्वास्थ्य सेवा जनहित में बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वस्तुतः प्रश्नाधीन योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 22,49,000/– रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विभागीय पत्रांक–91 दिनांक 17.01.18 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, कार्य प्रमण्डल, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध के आलोक में अधूरे योजना को पूर्ण कराकर अस्पताल को संचालित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 01/18– 106 स्वा0, राँची, दिनांक: 18·1·18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 164/वि0स0, दिनांक– 10.01.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव ।

74

87
18/01/2018

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 19.01.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्नि–06 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश सिंह भोगता माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड इटखोरी के ग्राम हलमता एवं प्रखण्ड चतरा के चिरैयाटाड़ में आई०टी०आई० का भवन बन कर तैयार है;	उत्तर– आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इन दोनों प्रशिक्षण संस्थानों में पठन–पाठन कार्य का प्रारम्भ अभी तक नहीं हुआ है;	उत्तर– आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण संस्थानों में जल्द पठन–पाठन प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चतरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड ईंटखोरी के ग्राम हलमता आई०टी०आई०, ईंटखोरी को संचालन हेतु CCL (सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड) के साथ CSR के अन्तर्गत MoA किया गया था परन्तु CCL (सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड) के द्वारा संचालित नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकार स्तर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। आई०टी०आई० ईंटखोरी के लिए पद सृजन की कार्रवाई चल रही है।

18.1.18

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि० (वि०स०)–02/2018 87 राँची दिनांक 18/01/2018
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र सं०– 169 दिनांक 10.01.18 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 19.01.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्नि–02 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्री योगेन्द्र प्रसाद माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत प्रखण्ड कसमार, पंचायत–मंजुरा में आई०टी०आई० कॉलेज 5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभीतक पठन–पाठन का सत्र प्रारम्भ नहीं हुआ है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त आई०टी०आई० कॉलेज के खुलने से आस–पास के ग्रामीण एवं सुदुरवर्ती क्षेत्रों के छात्र–छात्रों को स्कील डेवलपमेंट की शिक्षा प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी एवं रोजगार का सृजन होगा;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त आई०टी०आई० कॉलेज को प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सी०एस०आर० के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार (बोकारो) को संचालन हेतु BSL (बोकारो स्टील लिमिटेड) को एम०ओ०यू० के माध्यम से आवंटित हुआ था परन्तु उनके द्वारा संचालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप एम०ओ०ए० को रद्द करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात अभी वर्तमान में पठन–पाठन प्रारंभ करने हेतु पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है। अगामी सत्र से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि० (वि०स०)–01/2018 86 राँची दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र सं०–167 दिनांक 10.01.18 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(76) 90 / 18/01/2018

श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19.01.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– अनि–09 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमूरिया एवं पोटका प्रखण्ड तकनीकी शिक्षा की क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने से तकनीकी शिक्षा का विकास के साथ रोजगार भी मिलेगा;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में आई0टी0आई0 की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमूरिया एवं पोटका प्रखंड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

18.1.18
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :–5 / प्रशि0 (वि0स0)–07 / 2018 90 राँची, दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा ज्ञाप सं0 प्र0 292 वि0स0 दिनांक 12.01.18 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(77)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 पूर्णतया लागू है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त कानून के प्रावधानों के अनुसार अस्पतालों के 150 किलोमीटर परिधि के दायरे में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन राज्य में नहीं हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी रामगढ़ में कार्यरत है। अगामी 6 माह में तीन ऐसी फैसीलिटि क्रमशः लोहरदगा, धनबाद एवं जमशेदपुर में अधिष्टापित हो जाने की संभावना है।
3-	क्या यह बात सही है कि उक्त कानुन के तहत बायोमेडिकल कचरा को खुले में नहीं फेंकना और जलाना है, जिसका अनुपालन नही होता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जहाँ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 द्वारा प्रावधानित अन्य विधियों के द्वारा निष्पादन किया जाता है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में जाँच कर समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी से अनाच्छादित क्षेत्रों में एसी फैसिलिटी स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-16/18 - 61(15) राँची, दिनांक–18/01/18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 289 दिनांक– 12-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(78)

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–31 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा में ब्लड बैंक का भवन दो वर्ष पूर्व निर्माण हो चुका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ब्लड बैंक भवन, जामताड़ा का हस्तगत दिनांक– 26.09.17 को हुआ है।
2-	क्या यह बात सही है कि ब्लड बैंक से संबंधित उपकरण नहीं रहने के कारण ब्लड बैंक का लाभ जिले के गरीबों को नहीं मिल पा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा के मरीजों को ब्लड के लिए बंगाल जाने को विवश होना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, जामताड़ा में पूर्व में रक्त संग्रह इकाई संचालित था, परन्तु रक्त संग्रह इकाई के प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारी के सेवानिवृत हो जाने के पश्चात् वर्तमान में रक्त संग्रह इकाई बंद है। चिकित्सकों के प्रशिक्षण हो जाने के पश्चात रक्त संग्रह इकाई को संचालित कर दिया जायेगा। वर्तमान में मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर निः शुल्क एम्बुलेंस के द्वारा अविलम्ब पी0एम0सी0एच0 धनबाद भर्ती करवाया जाता है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक समय सीमा के अन्तर्गत ब्लड बैंक में उपकरण उपलब्ध कराते हुए उक्त ब्लड बैंक को चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका– 3 में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0सभा0–07-10/18-148 (15)   राँची, दिनांक– 18-1-18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 290 दिनांक– 19-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव

Tiwari

29

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0–स–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, पाकुड़ में बायोमेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए 36 लाख रू0 की लागत से पाँच वर्ष पूर्व ही इन्सोनेरेटर मशीन खरीदी गयी थी ;	इन्सीनिटर मशीन खरीदी गई है यह बात सही है, परन्तु इसकी लागत मात्र 15,39,595/– (पन्द्रह लाख उन्तालीस हजार पाँच सौ पन्यान्वें) रू0 है।
2. क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, पाकुड़ में बायोमेडिकल कचरे के निष्पादन लिए खरीद गयी मशीन अबतक चालू नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र में संक्रामक बिमारी फैलने का खतरा है ;	सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची से एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त नहीं होने एवं सम्प्रति जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण चालू नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु उपायुक्त, पाकुड़ के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक–476/गो0, पाकुड़, दिनांक 28.10.2015 के द्वारा सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची से अनुरोध किया गया था। साथ ही सदर अस्पताल, पाकुड़ के परिसर में कालान्तर में उपलब्ध जमीन में कई भवनों को बना दिये जाने के कारण जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन उपलब्ध होते ही मशीन को अधिष्ठापित करने हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त कर कार्यशील बना दिया जाएगा। क्षेत्र में संक्रमण बिमारी रोकने के लिए समय–समय पर यथोचित उपाय किये जाते हैं तथा बायोमेडिकल वेस्ट का निदान वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार सदर अस्पताल, पाकुड़ में बायोमेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए खरीदी गयी इन्सोनेटर मशीन स्थापित कर शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जमीन उपलब्ध होते ही मशीन को अधिष्ठापित करने हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त कर कार्यशील बना दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–15/ वि0स0–07–21/2018–4105 स्वा0/राँची/दिनांक:– 17/01/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 162 दिनांक 10.01.18 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.01.18

सरकार के उप सचिव।

(20) 85 15/01/2018

श्री राजकुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–13 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री राजकुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला का धनवार विधानसभा क्षेत्र की अधिकतम आबादी खेती/किसानी मजदूरी पर ही आश्रित है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के पिछड़ा जिला क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय योजना के तहत् धनवार प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम माधो में आई0टी0आई0 ट्रेनिंग स्कूल के लिए जगह का चयन किया है;	उत्तर– अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के पिछड़ा जिला क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र के बेरोजगारों को बेहतर कौशल प्रशिक्षण नहीं मिलने से मजदूरी के लिए दुसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पिछड़ा जिला में केन्द्रीय योजना के तहत् बेरोजगारो को बेहतर कौशल प्रशिक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में चयन किये गये जगह पर आई0टी0आई0 का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड अन्तर्गत ग्राम माधो में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

18.1.18

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :–5/प्रशि0 (वि0स0)–08/2018 85 राँची, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा ज्ञाप सं0 प्र0 291 वि0स0 दिनांक 12.01.18 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.1.18

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(81)

श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –रा–03, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	क्र० सं०	उत्तर
	श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स०वि०स०		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1964 के बाद से भू–सर्वे नहीं हुआ है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र का भू–सर्वे वर्ष 1972–73 में हुआ है । चक्रधरपुर विधान सभा के अवशेष क्षेत्र में वर्ष–1964 का भू–सर्वे प्रभावी है ।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः भू–सर्वे कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		भू–सर्वे से संबंधित कार्यबल की नियुक्ति की प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है । कार्यबल उपलब्ध होने पर पुनः भू–सर्वे की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–02 / भू0अ०प०नि०, वि०स; (तारा०)–01 / 2018 34 / नि०स०, राँची, दिनांक– 17-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–177 / वि०स०, दिनांक–10.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/18
सरकार के उप सचिव।

(83) 88

18/01/2018

श्री नगेन्द्र महतो माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 19.01.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–07 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्री नगेन्द्र महतो माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी एवं सरिया प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड –1 में वर्णित प्रखण्डों में आई0टी0आई0 का नहीं होने से स्थानीय विद्यार्थियों को बाहर की ओर रूख करना पड़ता है यदि फिर ये तकनीकी शिक्षा से वंचित हो जाते है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में आई0टी0आई0 की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों?	अगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर गिरीडीह जिलान्तर्गत बिरनी एवं सरिया प्रखण्ड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

18.1.18

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0 (वि0स0)–03/2018 88 राँची दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र सं0– 170 दिनांक 10.01.18 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(84)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत नरसिंहपुर पथरा एवं चाँदो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने के कारण यहाँ के गरीब किसानों को काफी लम्बी दूरी तय कर चैनपुर प्रखण्ड या डालटनगंज सदर प्रखण्ड मुख्यालय जाना पड़ता है:	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में लोग तरह–तरह के बीमारियों से ग्रस्त हो जाने पर तथा समय पर चैनपुर प्रखण्ड एवं चान्दों के लोगो को सदर हॉस्पीटल डालटेनगंज नहीं पहुँच पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है:	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पंचायतों के ग्रामीणों के कठिनाईयों को देखते हुए जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि चैनपुर प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से निर्मित एवं संचालित है। विदित हो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरूप निर्धारित जनसंख्या जिसमें जनजातीय क्षेत्र में 80,000 हजार एवं गैर जनजातीय क्षेत्र में 120000 हजार पर दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन स्थान पर समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति देने में कठिनाई है। ज्ञातव्य हो कि चान्दों में स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित है जहाँ श्रीमती बींको लकड़ा ए0एन0एम0 एवं श्रीमती नन्दनी मिंज, ए0एन0एम0 कार्यरत है। नरसिंहपुर पथरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ0 अमिता कुमारी, श्रीमती मंजु कुमारी, ए0एन0एम0, लक्ष्मी कुमारी, ए0एन0एम0, श्री राजेश दुबे, प्रयोगशाला प्राविधिक, श्री राजबल मोची, स्वास्थ्य सेवक, श्री शंकर कुमार, परिचापक

	(आउटसोर्स) एवं श्री सोमनाथ प्रयोगशाला प्राविधिक (आउटसोर्स) कार्यरत है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0)– 12 / 18– 101 स्वा0, राँची, दिनांक: 18·1·18

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–286 / वि0स0, दिनांक– 12.01.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
सरकार के उप सचिव ।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018
को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि NH-100 गिरिडीह जिला के बगोदर से शुरू होकर हजारीबाग शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिसपर दिन– रात एक भी ट्रोमा सेन्टर नहीं होने के कारण आये दिन दुर्घटनाओं में शिकार लोगों को शीघ्र चिकित्सा के लाभ से वंचित होना पड़ता है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है ;	1. NH-100 गिरिडीह जिला के बगोदर से शुरू होकर हजारीबाग के शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। 2. NH-100 से लगभग 1 कि0 मी0 पर सदर अस्पताल, हजारीबाग में ट्रॉमा सेन्टर संचालित है तथा बरही अनुमण्डल में एक ट्रॉमा सेन्टर प्रस्तावित है। 3. झारखण्ड राज्य में 108 इमरजेन्सी मेडिकल एम्बुलेंस सेवा (EMAS) कार्यरत है। जिसके तहत हजारीबाग जिले के लिए 3 ALS एवं 15 BLS एम्बुलेंस प्रस्तावित है। 1 ALS एवं 11 BLS को जिलों में तैनाती कर दी गई है। ये एम्बुलेंस अत्याधुनिक उपकरण, दवा एवं प्रशिक्षित पारा मेडिकल कर्मी से अच्छदित है। इन ऐम्बुलेंसों से ट्रॉमा Cases को ससमय ईलाज करते हुए अस्पताल पहुँचाया जाता है। इन ऐम्बुलेंसेज को Level 4 ट्रॉमा केयर सेन्टर भी कहा जाता है।
2-	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के दारू में उक्त NH पर एक ट्रोमा सेन्टर होने से दोनों क्षेत्रों में दुर्घटना होने पर लोगों की शीघ्र चिकित्सा लाभ मिलेगी ;	चूँकि दारू की दूरी हजारीबाग से लगभग 10 कि0 मी0 है, अतः दारू में अलग से ट्रॉमा सेन्टर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित क्षेत्र में एक ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-22/18 - 62 (15) राँची, दिनांक– 18/1/18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 163 दिनांक– 10-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(88) 89 18/01/2018

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 19.01.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–08 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हैदरनगर, पिपरा, हरिहरगंज, तथा मोहम्मदगंज प्रखण्ड में आई0टी0आई0 कॉलेज भवन का निर्माण नही होने से शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं किए गए है जिससे गरीब छात्रों को पठन–पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आई0टी0आई0 नामांकन एवं प्रशिक्षण कार्य अविलम्ब शुरू कराने हेतु आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य के 13 जिलों के 105 प्रखण्डों में आई0टी0आई0 के लिए पद सृजन कर लिया गया है। अनुदेशकों के नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग राँची को भेजा जा रहा है। अनुदेशकों की नियुक्ति होते ही प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा।

18.1.18
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0 (वि0स0)–04/2018 89 राँची दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र सं0– 171 दिनांक 10.01.18 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–05 का उत्तर :–

क्र0स0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–05	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के गुमला और लोहरदगा जिले में हिंडाल्को कम्पनी द्वारा अपने बॉक्साइट खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और रिटायर्ड एम्पालई की ग्रेच्यूटी राशि देने में भारी गड़बड़ी किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बॉक्साईट खनन क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी एवं ग्रेच्यूटी का प्रवर्तन के लिए सक्षम सरकार केन्द्र सरकार है। तदनुसार, विभागीय पत्रांक–77, दिनांक 15.01.2018 द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से प्रश्न का कंडिकावार उत्तर भेजने हेतु अनुरोध किया गया। संबंधित उप मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), धनबाद के पत्रांक– 75/1/2015–A-7 दिनांक–16.01.2018 द्वारा उक्त प्रश्न का प्रश्नोत्तर भेजा गया है जिसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी एवं ग्रेच्यूटी के भुगतान की गड़बड़ी को सही नहीं बताया गया।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित उक्त गडबड़ी का खुलासा वर्ष 2015 में राँची में अपने पदस्थापन के दौरान श्रम विभाग के श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी श्री पवन कुमार ने किया था जिसमें इन्हों ने पी0एम0ओ0 को विस्तृत दस्तावेज देते हुए लिखे थे कि हिंडाल्को मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है साथ ही हिंडाल्को से रिटायर्ड एम्पलाई की ग्रेच्यूटी की 6 करोड रूपये की राशि का गड़बड़ी कम्पनी ने की है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उप मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री पवन कुमार, श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ने इस संदर्भ में प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई प्रतिवेदन भेजा है इसकी जानकारी उनके कार्यालय को नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि श्री पवन कुमार एक कनिष्ठ अधिकारी हैं, अतः वे सीधे तौर पर माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई जाँच प्रतिवेदन स्वतः नही भेज सकते हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित इन घटनाक्रमों के उपरान्त भी आज दिनांक –05.01.2018 तक उक्त विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। यह प्रतिवेदित किया गया है कि हिंडालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के सेवा निवृत्त कर्मचारियों का कोई उपदान राशि का भुगतान बकाया नही है और न ही इससे संबंधित कोई शिकायत/ परिवाद/सूचना उन्हें प्राप्त है। साथ ही उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि निरीक्षकों के निरीक्षण के दौरान न्यूनतम मजदूरी में गड़बड़ी नही पायी गयी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार उक्त विषय पर आवश्यक हस्तक्षेप कर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त के आलोक मे कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

18.1.18

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक:– 01 / श्रमा0का0–न्यू0मा0(वि0स0)–07 / 2018 श्र0नि0 111 राँची, दिनांक 18.01.18
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–172,वि0स0, दिनांक– 10.01.2018 के अनुपालन में 200 प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
झारखण्ड,

(88)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–08 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लाखों परिवार आज भी भूमिहीन एवं आवास से वंचित है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों के गाँव/टोला/पंचायत/प्रखण्डों में भूमिहीन एवं आवास से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है ;		स्वीकारात्मक। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा भूमिहीन एवं आवास से वंचित परिवारों से संबंधित सर्वेक्षण सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी जिलों के भूमिहीन एवं आवास से वंचित परिवारों को भूमि एवं आवास देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सरकार सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन एवं आवास से वंचित परिवारों को भूमि एवं आवास देने हेतु संवेदनशील है। ऐसे सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को आवास हेतु 12½ डि0 भूमि तथा कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ तक भूमि की जमाबंदी करने के निमित्त संकल्प संख्या–6144/रा0, दिनांक–21.12.17 निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स0भू0 वि0स0 (तारां0)– 18/2018 217 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–275/वि0स0, दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

89

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि दवाओं की खरीद के लिए राज्य में नियमावली लागू है, जिसके आलोक में प्रतिमाह या नियमित तौर पर सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाईयों की आपूर्ति की जाती है या इस मद में उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाती है और इस संबंध में निगरानी समिति या अन्य स्तर पर जाँच की जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि सीएचसी, बुढ़मू, राँची में पिछले वर्ष अक्टूबर– नवंबर के दौरान एक्सपायरी दवाओं को जलाए जाने की शिकायत मिली है ;	इस प्रश्न से संबंधित समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, राँची से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-19/18 57(15) राँची, दिनांक– 18/01/18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 285 दिनांक– 12-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18
सरकार के उप सचिव

(90)

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्डाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनकर बेकार पड़ा है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी का कार्य अपूर्ण है तथा भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित भवन में आधारभूत संशाधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से बंचित होना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। भवन हस्तांतरित नहीं रहने के कारण उस भवन में आधारभूत संसाधन उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी के भवन में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु संसाधन उपलब्ध है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत संशाधन मुहैया कराकर स्वास्थ्य सेवायें प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निर्मित भवन हस्तांतरित होने पर इसमें आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०मा०–07-21/18 –52(15) राँची, दिनांक– 18-1-18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 160 दिनांक– 10-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(91)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–02 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री मनीष जायसवाल, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में खास महाल रिज्यूम्ड लैंड पर वर्षों से गरीब लोग जानकारी के अभाव में अपनी जीवन की सारी कमाई की राशि से मकान बनाकर रह रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के हजारीबाग एवं गढ़वा जिले के पुनर्ग्रहित खास महाल भूमि के आंशिक भू–भाग पर कब्जा कर मकान बनाया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खास महाल रिज्यूम्ड लैंड पर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों के लिए काई प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	खास महाल मेन्युअल तथा विभागीय प्रावधानानुसार पुनर्ग्रहित खास महाल भूमि के अतिक्रमणकारियों के साथ भूमि बंदोबस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध पुनर्ग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार (झारखण्ड) लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–7/वि.स.–तारां.–02/2018...218...(7)/रा., राँची, दिनांक–18-01-18

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–173/वि.स., दिनांक–10.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Comp/G/D-drive/All folder/Vidhan Sabha-17M

(102)

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला के आनन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत चीरूमाठा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण योजना पूर्ण होने के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है ;	अस्वीकारात्मक। पं0 सिंहभूम जिला आनन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र चीरूमाठा का हस्तांतरण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुर के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं माह जून 2016 से ही उक्त भवन कार्यशील है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, चीरूमाठा के नवनिर्मित भवन में वर्त्तमान में संस्थागत प्रसव भी कराये जा रहे है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, चीरूमाठा में 02 (दो) ए0एन0एम0 पदस्थापित है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य उपकेन्द्र, चीरूमाठा के नवनिर्मित भवन माह जून 2016 से ही कार्यशील है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/विoसभा०–07-17/18 -46(15) राँची, दिनांक– 18-1-18
प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 281 दिनांक– 12-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18
सरकार के उप सचिव

(93)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित ग्राम लालखटंगा, नया भुसूर, नया धुर्वा, गढ़खटंगा, डहुपीडि, कोचबोंग खरस्सीदाग, मंगुबंध, डीबरा टोली, देवगाई, जराटोली, सबय बगान, बेडेटोली, डुंगरी, मुरूग टोली, किसकी, हुडूवों, सिरी करकाट्टा, इत्यादि अनेकों गाँवों के ग्रामीणों की चिकित्सा सुविधा हेतु एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। नामकोम प्रखण्ड में वर्णित गाँव में निम्नलिखित स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है – 1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र लालखटंगा अन्तर्गत– नया भुसूर, गढ़खटंगा, डहुपिड़ी एवं डुंगरी 2. स्वास्थ्य उपकेन्द्र कोचबोंग अन्तर्गत– खरस्सीदाग, मंगुबंध, डीबरा टोली 3. स्वास्थ्य उपकेन्द्र देवेगाई अन्तर्गत– जराटोली, सबय बगान, बेडेटोली, मुरूग टोली, किसकी, हुडूवों, सिरी करकाट्टा 4. स्वास्थ्य उपकेन्द्र बालसिरिंग अन्तर्गत– नया धुर्वा उपर्युक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के माध्यम से वर्णित ग्रामों की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों में ग्रामीणों की आबादी लगभग 60,000 (साठ हजार) रहने के बावजूद कोई सरकारी अस्पताल नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। लालखटंगा के नया भुसूर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, जिसके निर्माण संबंधी कार्रवाई जारी है।
3-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तुपूदाना नामकोम रिंग रोड के बीच में स्थित लालखटंगा (नया भुसूर) नामक स्थान पर खाता नं0– 73, प्लाट नं0– 36, रकबा– 3 एकड़ उपलब्ध सरकारी जमीन पर 100 शैय्या वाली सरकारी अस्पताल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 202 (6) दिनांक– 23.02.17 द्वारा लालखटंगा स्वास्थ्य उपकेन्द्र अन्तर्गत नया भुसूर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-05/18 - 63(15) राँची, दिनांक–18/01/18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 89 दिनांक– 08-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(94)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–05 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–18, दिसम्बर 2017 के राज्य मंत्रीपरिषद के बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, राज्य में साढ़े छः लाख एकड़ गैरमजरूआ जमीन पर लोग अवैध रूप से रह रहे है, ऐसी जमीनों को तय मानदण्डों के अनुरूप बंदोबस्ती के माध्यम से इन गरीबों भूमिहीनों को सौंप दिया जायेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके अनियमित जमाबंदी को नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित उक्त निर्णय के आधार पर धनबाद जिला के निरसा अंचल अन्तर्गत एग्यारकुण्ड मौजा के खाता नं0–138, 139, 141, 143, 146, 149 तथा शिवलीबाड़ी मौजा के खाता नं0–90 एक विस्तृत गैरमजरूआ जमीन है जो घनी आबादी से पटा क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 के निर्णय के आधार पर खण्ड–2 में वर्णित भूखण्डों पर रह रहे लोगों को तय मानदण्डों के अनुरूप बंदोबस्ती देने संबंधी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8/गठन/112/2017/न0वि0आ0वि0–6342/ना0, दिनांक–07.10.2017 के आलोक में मौजा–शिवलीबाड़ी एवं मौजा–एग्यारकुण्ड, जो कि अर्द्धशहरी क्षेत्र होने एवं शिवलीबाड़ी नगर निकाय की गठन के प्रस्ताव होने के कारण खण्ड–1 में वर्णित संकल्प लागू नहीं होगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–5/स0भू0 धनबाद (वि0स0 तारां0)– 14/2018 220 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–175/वि0स0, दिनांक–10.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

(95)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–10 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड की सिर्फ वैसी ही गैरमजरूआ जमीनों की मालगुजारी रसीदे कट पा रही है, जो कि 1946 ई0 से पूर्व निबंधित डीड से हस्तांतरित की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि 01.01.1946 के पूर्व निबंधित डीड से भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा गैरमजरूआ भूमि की बंदोबस्ती रैयतों के साथ किये जाने, सरकार में जमीन्दारी निहित होने के उपरान्त सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों के साथ की गई बंदोबस्ती तथा नियमानुसार संधारित पंजी–II की जमाबंदी से ऑन लाईन मालगुजारी रसीद निर्गत करने में कोई रोक नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि अगर कोई गैरमजरूआ मालिक भूमि, जोकि 1966 में न्यायालय में टाइटल शूट के जरिये किसी रैयत को प्राप्त हुई हो और फिर कई रैयतों को क्रय–विक्रय के क्रम में 2–3 बार उसकी जमाबंदी पंजी–2 में संशोधित हुई हो, आज वर्तमान में वैसी जमीनों का भी मालगुजारी रसीद निर्गत होने पर सरकार द्वारा रोक लगाया गया है ;	सक्षम न्यायालय के आदेश के आलोक में गैरमजरूआ मालिक/सरकारी भूमि की नियमानुसार संधारित जमाबंदी में ऑन लाईन मालगुजारी रसीद निर्गत करने में कोई रोक नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस प्रकार ऐसे जमीनों के रैयतो ऑनलाइन मालगुजारी रसीद निर्गत न होने के कारण उक्त जमीनों पर घर बनवाने हेतु नक्शा पास नहीं करवा पा रहे हैं और सरकार को भी राजस्व का ह्रास हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। सक्षम न्यायालय के आदेश के आलोक में संधारित जमाबंदी में ऑन लाईन मालगुजारी रसीद निर्गत करने पर कोई रोक नहीं है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 1946 ई0 के बाद न्यायालय द्वारा टाईटल शूट से प्राप्त जमीन जिनकी निरंतर जमाबंदी कायम चले आ रही है की मालगुजारी रसीद निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 05/स0भू0(वि0स0तारां0)–19/2017 221 (5)/रा. राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–274, दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

96

श्रीमती विमला प्रधान, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – 28 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्रीमती विमला प्रधान, मा0स0वि0स0, झारखंड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि प्रत्येक परिवार को मेडिकेटेड मच्छरदानी उपलब्ध कराने की योजना के तहत कम से कम दो मच्छरदानी प्रत्येक परिवार को देना है	अशतः स्वीकारात्मक – एनुअल पारासाईट इन्सीडेन्स (ए0पी0आई0) के आधार पर चिन्हित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के सभी जनसंख्या को मेडिकेटेड मच्छरदानी से आच्छादित किया जाता है। सिमडेगा जिला के लिए चिन्हित कुल 76 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित किये जा रहे हैं। मेडिकेटेड मच्छरदानी तीन आकार के हैं – साईज–1 – एक वयस्क या दो बच्चों के लिये साईज–2 – दो वयस्क या चार बच्चे या एक वयस्क तथा दो बच्चों के लिये साईज–3 – दो वयस्क तथा एक बच्चा या एक वयस्क तथा तीन बच्चे या पाँच बच्चों के लिये परिवार में उपरोक्त सदस्यों को ध्यान में रखकर सभी सादस्यों के लिये मेडिकेटेड मच्छरदानी दी जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला को भी मेडिकेटेड मच्छरदानी उपलब्ध कराया गया है एवं सहिया के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड के स्वास्थ्य केन्द्र में देना है	स्वीकारात्मक – सिमडेगा जिला को वर्ष 2017 में कुल 136302 नग मेडिकेटेड मच्छरदानी उपलब्ध कराये गये हैं। चिन्हित स्वास्थ्य उपकेन्द्रो के गाँवों में मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण के लिये संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के ए0एन0एम0, एम0पी0डब्ल्यु0, ग्राम प्रधान (जनप्रतिनिधि) एवं सहिया को जिम्मेवारी दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमडेगा जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में मच्छरदानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्ष 2016 एवं 2017 मिलाकर सिमडेगा जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के सभी गाँवों को मेडिकेटेड मच्छरदानी से आच्छादित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वा0, चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग।

ज्ञापांक–15/वि0स0–07–20/2018– 54(15) स्वा0, राँची, दिनांक: 18-1-18

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–287 दिनांक 12.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव।

(97)

श्री योगेश्वर महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स 30 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि चन्द्रपुरा 23 पंचायत का बड़ा प्रखंड है, जहाँ डी0वी0सी0 एवं बी0सी0सी0एल0 के कर्मियों का निवास भी बड़ी संख्या में है;		स्वीकरात्मक
2. क्या यह बात सही है कि इतने बड़े प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव में आये दिन दुर्घटना वगैरह में घायल लोगों को ईलाज के लिए दूसरे जगहों में ले जाना पड़ता है, जिससे कभी–कभी त्वरित ईलाज के अभाव में लोगों को जान भी गँवाना पड़ता है;		अस्वीकरात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार चन्द्रपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?		वस्तु स्थिति यह है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्द्रपुरा प्रखण्ड में डी0वी0सी0 द्वारा अस्पताल का निर्माण किया गया है जहाँ पर सभी स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध है वहाँ पर दुर्घटना में घायल लोगों का ईलाज किया जाता है। उक्त प्रखण्ड कार्यालय से अलारगो की दूरी लगभग 10 किलो मीटर है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2014–15 मे विभागीय पत्रांक 28(6)ब दिनांक 16.06.14 द्वारा कुल 5,73,96,700/–(पाँच करोड़ तिहतर लाख छियानवे हजार सात सौ) रूपये की लागत पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अस्पताल का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 10/18– 90 स्वा0, राँची, दिनांकः 17·1·18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 284/वि0स0, दिनांक– 12.01.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

सरकार के उप सचिव।

(98)

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 16 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखण्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र बोहरा में अभी तक समुचित भवन एवं मेडिकल स्टाफ के अभाव में ग्रामीणों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है :		आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गरीब मरीजों को लम्बी दूरी तय कर सदर अस्पताल गोड्डा आने को विवश होना पड़ता है:		आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में अविलम्ब भवन निमार्ण एवं मेडिकल स्टाफ के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?		वस्तुतः प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बोहरा पुराने भवन में संचालित है। उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में श्रीमती सीमा कुमारी, ए0एन0एम0 एवं श्रीमती अनिता कुमारी, ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष स्वास्थ्य सुविधा हेतु 12 कि0 मी0 के दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोड़ैयाहाट तथा 8 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डांड़े संचालित है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय पत्रांक 89 दिनांक 17.01.2018 द्वारा प्राश्नाधीन योजना के सबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोड्डा को उक्त भवन के कंडम/मरम्मति हेतु प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही उक्त भवन का मरम्मति/निर्माण करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 08/18– 108 स्वा0, राँची, दिनांकः 18.1.18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 282/वि0स0, दिनांक– 12.01.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव ।

(79)

श्री अशोक कुमार, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0– 01 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महगामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के सरकारी अस्पतालों में कोई भी महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। महगामा में महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखण्डों के सरकारी असपताल में प्रति दिन दर्जनों महिलाओं का प्रसव केवल नर्स द्वारा कराया जाता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। महिलाओं का प्रसव वहां पदस्थापित चिकित्सक के देख–रेख में प्रशिक्षित नर्स के द्वारा कराया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि महिलाओं की समुचित चिकित्सा एवं प्रसव के दौरान उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के निराकरण के लिये महिला चिकित्सक का रहना अनिवार्य है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला के महगामा, मेहराम एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के अस्पतालों में कम से कम एक–एक महिला चिकित्सक को पदस्थापित करन का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	महगामा में महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। झारखण्ड राज्य में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 55 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक 1252(3) दि0 27.11.17 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है, अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन हेतु विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–01/2018 46(3) राँची, दिनांक: 18.01.18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 87/वि0स0 दिनांक 08.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव